कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा

प्रेस–विज्ञप्ति

(द्वितीय विज्ञप्ति)

एतत्द्वारा जनपद–आगरा के समस्त पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों के संचालको को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 820 / 2002 में निर्गत आदेश दिनॉक 28.01.2004 के अनुपालन में 30 अप्रैल 2020 तक निर्धारित प्रारूप पर अग्निशमनें / बायो मैडिकल वेस्ट निस्तारण / नगर निगम तथा प्रदूषण के वैध प्रमाण पत्रों / मानको को पूर्ण करते हुए अपने चिकित्सा संस्थान का नवीनीकरण प्रार्थना पत्र आनलाइन **UP-Health.in** पर आवेदित करना सुनिश्चित करें। अन्तिम तिथि के पश्चात आनलाइन किये गये नवीनीकरण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आन लाइन आवेदन के पश्चात हार्ड कापी कार्यालय में प्राप्त कराते समय निम्न सूचनायें भी संलग्न करेंगे–

1. 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रत्येक निजी चिकित्सालय द्वारा प्रतिमाह किये गये संस्थागत प्रसव की सूचना।
2. 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रत्येक निजी चिकित्सालयों में प्रतिमाह किये गये क्षयरोगियों का पंजीकरण की सूचना।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
नोडल अधिकारी(पंजीकरण),
आगरा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा

पत्रांकः मु0चि0अ0 / पंजी0 / विज्ञप्ति / 2020– 2486 दिनॉक 16.3.20

प्रतिलिपि–

1. प्रधान सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण / अमर उजाला / हिन्दुस्तान, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु 2 प्रतियों में कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. अध्यक्ष / सचिव, आई0एम0ए0, आगरा।
3. लेखा लिपिक, कार्यालय अधोहस्ताक्षरी, आगरा।
4. नोडल अधिकारी(हास्पीटल पंजीकरण) कार्यालय अधोहस्ताक्षरी, आगरा।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
नोडल अधिकारी(पंजीकरण),
आगरा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा